

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह (म.प्र.)

—:: आदेश ::—

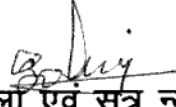
क्रमांक—४५९/दो-११-१/२०००

दमोह, दिनांक ०९ सितम्बर, २०२६

प्रशासकीय अत्यावश्यकता (administrative exigencies) को दृष्टिगत रखते हुए इस स्थापना पर पदस्थ निम्नांकित तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का स्थानांतरण कर नवीन पदस्थापना, तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार की जाती है :-

क्र.	नाम कर्मचारी एवं पद	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना	रिपोर्ट
१	२	३	४	५
१	श्री लोकेश साहू सहायक ग्रेड-तीन	प्रवर्तन लिपिक, न्यायालय प्रथम जिला न्यायाधीश हटा (श्री सिराज अली)	नायब नाजिर, नजारात अनुभाग हटा	श्री नेकराम साहू के स्थान पर
२	श्री नेकराम साहू सहायक ग्रेड-दो	नायब नाजिर, नजारात अनुभाग हटा	प्रवर्तन लिपिक, न्यायालय प्रथम जिला न्यायाधीश हटा (श्री सिराज अली)	श्री लोकेश साहू के स्थान पर

उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

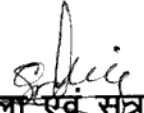

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रमांक—४१२२/दो-११-१/२०००

दमोह, दिनांक ०९ सितम्बर, २०२६

प्रतिलिपि :-

- १- संबंधित न्यायालय/अनुभाग हटा
- २- संबंधित कर्मचारी हटा
- ३- लेखापाल/जूनियर सिस्टम एनालिस्ट/सहायक लेखापाल/सांख्यिकीय लिपिक/ऑफिस मुहरर/ऑफिस टाईपिस्ट/वेतन लिपिक/एच.आर.एम.एस. लिपिक/आवक-जावक लिपिक/जिला नाजिर, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह
की ओर ईमेल के माध्यम से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
दमोह (म.प्र.)